कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34851/2018 दिनांक: 25.04.2018

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,
अजमेर–प्रथम

विषयः– संशोधित वेतन नियम 2017 के वेतन नियतन के समय सेवापुस्तिका की जांच में संशोधित वेतन नियम–2008 के तहत किये गये वेतन नियतन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत ।

प्रसंग :– आपका पत्रांक– जिशिअ/माप्र/अज/लेखा–2/मार्गदर्शन/विविध/326 दिनांक 06.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के नियम–22 के अनुसार राजकीय सेवा में पूर्व से नियमित कार्यरत कार्मिक की सीधी भर्ती से अन्य पद पर नियुक्ति होने पर उसके द्वारा पूर्व पद के वेतन का विकल्प देने की स्थिति में परीवीक्षा काल संतोषप्रद पूर्ण करने पर उसे पूर्व पद के रनिंग पे–बैण्ड व ग्रेड–पे के संदर्भ में नये पद पर समान स्तर पर वेतन स्थिरीकरण करने का प्रावधान है ।

सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक जिन्होने फिक्स वेतन का विकल्प दिया है, उन्हें ही 02 वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषप्रद पूर्ण करनें पर अनुसूची–5 के अनुसार वेतन निर्धारण देय है ।

इस प्रकरण में कार्मिक द्वारा सीधी भर्ती से द्वितीय वेतन श्रृंखला में चयन होने पर पूर्व पद (अध्यापक तृतीय श्रेणी) के वेतन का विकल्प दिया है। । अतः कार्मिक को अनुसूची–5 के अनुसार दिनांक 05.01.2015 को 14430/– रूपये पर किया गया वेतन स्थिरीकरण सही नहीं है । इस प्रकरण में पुनरीक्षित वेतनमान–2008 के नियम–22 के पैरा–II के अनुसार परीवीक्षा काल संतोषप्रद पूर्ण करने पर उसे पूर्व पद के रनिंग पे–बैण्ड व ग्रेड–पे के संदर्भ में नये पद पर समान स्तर पर वेतन स्थिरीकरण की कार्यवाही की जावे ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :– 1. समस्त उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को पालनार्थ ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Radheshyam Ji

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / माध्य / स्थिरी–अ / 34851 / 2018 दिनांकः 25.04.2018

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,
अजमेर–प्रथम

विषयः– संशोधित वेतन नियम 2017 के वेतन नियतन के समय सेवापुस्तिका की जांच में संशोधित वेतन नियम–2008 के तहत किये गये वेतन नियतन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत ।

प्रसंग :– आपका पत्रांक– जिशिअ / माप्र / अज / लेखा–2 / मार्गदर्शन / विविध / 377 व 378 दिनांक 24.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के संदर्भ में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक– F.14 (1) FD (rules) /2013-II Date 28.06.2013 के पुनरीक्षित वेतनमान–2008 में दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 के मध्य नियमित वेतन श्रृंखला (रनिंग पे–बैण्ड + Grade Pay) PB-1 (5200-20200) ,PB-2 (9300-34800) में वेतन आहरित कर रहे कार्मिको को दिनांक 01.07.2013 को पूर्व में प्राप्त ग्रेड–पे से संशोधित ग्रेड–पे की अन्तर राशि देने का प्रावधान किया गया है।

अतः जिन कार्मिको की दिनांक 01.07.2013 से पूर्व परीवीक्षाकाल पूर्ण होने पर नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत कर दी गई है उनको इन नियमों के तहत दिनांक 01.07.2013 को केवल ग्रेड पे की अन्तर राशि ही दी जानी थी । उनको दिनांक 01.07.2013 से अनुसूची–5 के अनुसार पुनः वेतन निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं था ।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.06.2013 की संशोधित अनुसूची–5 के अनुसार वेतन निर्धारण उन्हीं कार्मिको (सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक जिन्होने फिक्स वेतन का विकल्प दिया है,) का किया जाना था जिनका परीवीक्षा काल 30.06.2013 के बाद पूर्ण होता है ।

उपरोक्त प्रकरणों में दिनांक 01.07.2013 से पूर्व रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे प्राप्त करने वाले कार्मिको को संशोधित ग्रेड–पे की अन्तर राशि नहीं दी जाकर ग्रेड–पे की अन्तर राशि से अधिक राशि संशोधित अनुसूची–5 के अनुसार दिनांक 01.07.2013 से भुगतान कर दी गई । अतः आदेश दिनांक 28.06.2013 के द्वारा संशोधित अनुसूची–5 में पुनः वेतन स्थिरीकरण करने के कारण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक– F.14 (1) FD (rules) /2013- Date 30.10.2017 के नियम–30 के संदर्भ में दिनांक 01.07.2013 से 30.10.2017 के मध्य किये गये अधिक भुगतान की वसूली करने या नहीं करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे जा रहे है । साथ ही वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.14 (1) FD (rules) /2013 Jaipur Date 09.12.2017 के संदर्भ में अधिक भुगतान की पी.पी. स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश मांगे जा रहे है ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :– 1. समस्त उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को पालनार्थ

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Radheshyam Ji